



धनलक्ष्मी बैंक

चेक/उपकरणों के संग्रहण पर नीति

2024

विषय सूची		
1	परिचय	3
2	उद्देश्य	3
3	परिधि	3
4	संग्रह की व्यवस्था	3
4.1	स्थानीय चेक	3
4.2	"CTS-2010 मानक" चेक का चेक ट्रंक्शन सिस्टम (CTS) ग्रिड में संग्रह	4
4.3	बाहरी चेक	4
4.4	विदेशी देशों में देय चेक	4
5	CTS समाशोधन में चेक प्रस्तुत करने में देरी	4
6	स्थानीय/बाहरी चेक/उपकरणों के संग्रह की समय-सीमा	5
7	स्थानीय/बाहरी चेक और चेकों के विलंबित संग्रह के लिए ब्याज का भुगतान	5
8	मार्ग में , समाशोधन प्रक्रिया या भुगतान बैंक की शाखा में खोए गए चेक/उपकरण	6
9	चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर के चेक की वैधता	6
10	तकनीकी वापसी चेक की पुनः-प्रस्तुति और ऐसे रिटर्न के लिए शुल्क	7
11	अप्रत्याशित घटना	7
12	तत्काल क्रेडिट दिए जाने पर चेक के अस्वीकृत होने पर ब्याज शुल्क	7
13	सेवा शुल्क	8
14	खाते में भुगतान योग्य चेक का संग्रह - तृतीय पक्ष खाते में क्रेडिट करने पर रोक	8
15	सकारात्मक भुगतान	9
16	नीति संशोधन	9

1. परिचय

बैंक की यह संग्रहण नीति हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और प्रदर्शन के उच्च मानक स्थापित करने के लिए हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह नीति पारदर्शिता और ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांतों पर आधारित है।

बैंक की चेक / उपकरण संग्रहण नीति केंद्रीय बैंक की नीति सुधार की दिशा में तकनीकी नवाचार के उपयोग को विस्तृत रूप से दर्शाती है। यह दस्तावेज़ निम्नलिखित पहलुओं को कवर करता है:

- स्थानीय, भारत के विभिन्न केंद्रों और विदेशों में देय चेक और अन्य उपकरणों का संग्रहण।
- उपकरणों के संग्रहण के लिए समय-सीमा संबंधी मानदंडों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता।
- उन मामलों में ब्याज भुगतान की नीति, जहां बैंक बाहरी स्थानों के उपकरणों की प्राप्ति के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने में विफल रहता है।
- मार्ग में संग्रहण उपकरणों के गुम हो जाने पर हमारी नीति।

2. उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य एक व्यापक और पारदर्शी प्रणाली स्थापित करना है ताकि चेक/उपकरणों के संग्रह और आंतरिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और विभिन्न वैधानिक/नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा सके।

3. परिधि

यह नीति पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। बैंक ग्राहकों को त्वरित संग्रह सेवाएँ प्रदान करने हेतु तकनीक के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. संग्रह की व्यवस्था

4.1 स्थानीय चेक

स्थानीय रूप से देय सभी चेक और अन्य परक्राम्य लिखत संबंधित केंद्र पर प्रचलित क्लीयरिंग प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। शाखा काउंटरों और शाखा परिसर में स्थित संग्रहण बॉक्स में निर्दिष्ट कट-ऑफ समय से पहले जमा किए गए चेक उसी दिन क्लीयरिंग के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। कट-ऑफ समय के बाद और शाखा परिसर के बाहर स्थित संग्रहण बॉक्स, जिसमें ऑफ-साइट एटीएम भी शामिल हैं, में जमा किए गए चेक अगले क्लीयरिंग चक्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

बैंक की नीति के अनुसार, क्लीयरिंग सेटलमेंट पूरा होने वाले दिन ही ग्राहक के खाते में क्रेडिट दिया जाएगा। इस प्रकार क्रेडिट की गई राशि की निकासी क्लीयरिंग हाउस की चेक वापसी शेड्यूल

के अनुसार अनुमत होगी।

जहां भी बैंक, एटीएम और स्वतंत्र स्थानों पर चेक ड्रॉप बॉक्स स्थापित करेगा, वहां भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

4.2 "CTS-2010 मानक" चेक का चेक ट्रंक्शन सिस्टम (CTS) ग्रिड में संग्रह

सभी "CTS-2010 मानक" चेक और अन्य परक्राम्य लिखत (CTS अनुरूप), जो किसी भी बैंक में स्थानीय या बाहरी केंद्रों पर देय हैं, उन शाखाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे जो CTS-ग्रिड आधारित क्लीयरिंग से जुड़ी हुई हैं। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से संचालित होती है।

CTS प्रणाली में भौतिक चेक का आदान-प्रदान बंद कर दिया गया है, और भुगतान केवल चेक की छवियों (इमेजेस) के आधार पर किया जाता है। यदि कोई छवि निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। RBI द्वारा CTS क्लीयरिंग में छवि गुणवत्ता से संबंधित कुछ अनिवार्य मानक निर्धारित किए गए हैं। यदि छवि इन मानकों को पूरा नहीं करती, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के अतिरिक्त, RBI द्वारा चेक पर सुधार/संशोधन से संबंधित विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका ग्राहकों को पालन करना चाहिए।

ग्राहक छवि-अनुकूल रंगीन स्याही का उपयोग करके चेक भरें और किसी भी प्रकार के सुधार/संशोधन से बचें। यदि किसी सुधार/संशोधन की आवश्यकता हो, तो नई चेक पत्ती का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि CTS आधारित क्लीयरिंग प्रणाली में ऐसे चेक अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

31 दिसंबर 2018 से गैर-CTS 2010 क्लीयरिंग सेवा बंद कर दी गई है।

4.3 बाहरी चेक

वे चेक जो उपरोक्त धारा 2.1 के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं और बाहरी केंद्रों पर स्थित अन्य बैंकों के खाते में देय होते हैं, उन्हें आमतौर पर बैंक की उन शाखाओं के माध्यम से एकत्र किया जाएगा, जो उन केंद्रों पर उपलब्ध हैं।

- यदि बैंक की उस केंद्र पर अपनी शाखा उपलब्ध नहीं है, तो चेक को प्रत्यक्ष रूप से अदाकर्ता बैंक (Drawee Bank) को संग्रहण के लिए भेजा जाएगा या संबंधित बैंक (Correspondent Bank) के माध्यम से संग्रह किया जाएगा।
- जिन केंद्रों पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा राष्ट्रीय क्लीयरिंग सेवा (National Clearing Services) उपलब्ध है, वहां बैंक इस सेवा का उपयोग करेगा।

4.4 विदेशी देशों में देय चेक

उन देशों/केंद्रों में, जहां संबंधित बैंक (Correspondent Bank) की उपस्थिति है, वहां उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। ऐसे विदेशी बैंक जिनके केंद्रों पर संबंधित बैंक की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है, वहां चेक को सीधे अदाकर्ता बैंक (Drawee Bank) को भेजा जाएगा, जिसमें यह निर्देश दिया जाएगा कि प्राप्त राशि को बैंक के किसी संबंधित नोस्ट्रो खाते (Nostro Account) में जमा किया जाए।

5. सीटीएस क्लीयरिंग में चेक की प्रस्तुति में देरी

यदि यह सिद्ध होता है कि स्थानीय क्लीयरिंग उपकरण (Local Clearing Instrument) को बैंक द्वारा ग्राहक द्वारा जमा करने की तारीख से 2 कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया, और यह देरी बैंक की आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण हुई है, न कि संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली या किसी अपरिहार्य परिस्थिति (Force Majeure) के कारण, तो बैंक उक्त चेक राशि पर मौजूदा बचत खाता ब्याज दर (Savings Rate) के अनुसार ब्याज का भुगतान करेगा।

6. स्थानीय / बाहरी चेक / दस्तावेजों के संग्रहण की समय-सीमा

- स्थानीय चेक जो क्लीयरिंग में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर उसी दिन खाते में जमा (Credit) किया जाएगा, जिस दिन क्लीयरिंग फंड सेटलमेंट होता है। ग्राहक को क्लीयरिंग हाउस की चेक वापसी प्रक्रिया (Return Clearing Norms) के अनुसार निकासी की अनुमति दी जाएगी।
- बैंक शैडो क्रेडिट (Shadow Credit) को ग्राहक के खाते में रिटर्न क्लीयरिंग बंद होने के तुरंत बाद दिखाने की अनुमति देगा। अधिकतम तीसरे कार्य दिवस के व्यवसाय प्रारंभ होने के एक घंटे के भीतर, यह क्रेडिट पूरी तरह उपलब्ध करा दिया जाएगा, बशर्ते कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया हो।
- बाहरी चेक पर शुल्क, बैंक के शुल्क निर्धारण कार्यक्रम (Schedule of Charges) के अनुसार लिया जाएगा।

देश के भीतर केंद्रों पर संग्रह के लिए भेजे गए चेक और अन्य उपकरणों के लिए निम्नलिखित समय मानदंड लागू होंगे:

- a) चार प्रमुख मेट्रो शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) में प्रस्तुत चेक, और अन्य किसी भी मेट्रो केंद्र में देय हैं: अधिकतम 7 दिन।
- b) मेट्रो केंद्र और राज्य की राजधानियाँ (पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को छोड़कर): अधिकतम 10 दिन।
- c) अन्य सभी केंद्रों पर प्रस्तुत चेक: अधिकतम 14 दिन।
- d) विदेशों में देय चेक को संग्रहण बिल (Collection Bill) के रूप में संसाधित किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों को विदेशी जारीकर्ता बैंक (Issuing Bank Abroad) को सीधे संग्रह के लिए भेजा जाएगा, और यह प्रक्रिया संग्रहण के लिए एकीकृत नियमों (Uniform Rules for Collection) के तहत होगी। इस पर लागू शुल्क ग्राहक के खाते से लिया जाएगा।

किसी भी विदेशी मुद्रा उपकरण (Foreign Currency Instruments) के लिए देश/स्थान-विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की जाएगी और ग्राहक को चेक स्वीकार करने के समय सूचित किया जाएगा।

इन सभी समय-सीमाओं का अनुपालन बैंक की अपनी शाखाओं और अन्य बैंकों की शाखाओं के लिए समान रूप से किया जाएगा।

7. स्थानीय/बाहरी चेक और भारत के बाहर देय चेक के संग्रह में देरी पर ब्याज भुगतान

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के भाग के रूप में, बैंक अपने ग्राहकों को 3.ए, बी, सी और डी के अंतर्गत संग्रह उपकरणों की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा, यदि ऊपर उल्लिखित समय अवधि से परे ऋण देने में देरी होती है। इस तरह के ब्याज का भुगतान सभी प्रकार के खातों में ग्राहकों से किसी भी मांग के बिना किया जाएगा। विलंबित संग्रह पर ब्याज के भुगतान के उद्देश्य से बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों पर आहरित उपकरणों के बीच कोई अंतर नहीं होगा।

विलंबित संग्रहण (Delayed Collection) पर ब्याज निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा:

- a) बचत खाता (Savings Bank) की दर उस अवधि के लिए देय होगी, जो 7/10/14 दिनों से अधिक हो, जैसा कि बाहरी चेक संग्रहण के लिए निर्धारित है।

- b) यदि विलंब 14 दिनों से अधिक है तो संबंधित अवधि के लिए सावधि जमा पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- c) असाधारण विलंब (Extraordinary Delay) यानी 90 दिनों से अधिक की देरी की स्थिति में, सम्बंधित टर्म डिपॉजिट दर से 2% अधिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- d) यदि संग्रहण के अंतर्गत चेक की राशि को ग्राहक के ओवरड्राफ्ट (Overdraft) या ऋण खाते (Loan Account) में जमा किया जाना था, तो ब्याज उसी दर से दिया जाएगा जो ऋण खाते पर लागू होती है। असाधारण विलंब की स्थिति में ऋण खाते पर लागू दर से 2% अधिक ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- e) स्थानीय चेक संग्रहण (Local Cheques Collection) में निर्धारित समय-सीमा से अधिक देरी पर पैरा 2.1 के तहत दर (Savings Bank Rate) लागू होगी।

8. चेक/दस्तावेज़ जो पारगमन (Transit), क्लीयरिंग प्रक्रिया या भुगतान बैंक शाखा में खो जाते हैं

यदि कोई चेक या अन्य दस्तावेज़ संग्रहण के दौरान पारगमन में, क्लीयरिंग प्रक्रिया में या भुगतान करने वाली बैंक शाखा में खो जाता है, तो बैंक इस बारे में तुरंत ग्राहक को सूचित करेगा ताकि खाताधारक भुगतान रोकने के लिए आहर्ता को सूचित कर सके और यह भी ध्यान रख सके कि उसके द्वारा जारी किए गए चेक, यदि कोई हों, खोए हुए चेक/उपकरणों की राशि जमा न होने के कारण अस्वीकृत न हों।

बैंक ग्राहक को चेक जारीकर्ता से डुप्लिकेट चेक प्राप्त करने में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा।

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुरूप पारगमन में खोए गए उपकरणों के संबंध में खाताधारक को निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति दी जाएगी:

- a) यदि चेक खो जाने की सूचना ग्राहक को संग्रहण के लिए निर्दिष्ट समय सीमा (7/10/14 दिन) के बाद दी जाती है, तो उस अतिरिक्त विलंब अवधि पर निर्दिष्ट ब्याज दरों के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- b) इसके अतिरिक्त, डुप्लिकेट चेक/दस्तावेज़ प्राप्त करने और उसके संग्रह में संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए, 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बचत बैंक दर (Savings Bank Rate) पर ब्याज दिया जाएगा।
- c) यदि ग्राहक को डुप्लिकेट चेक/दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है, तो रसीद प्रस्तुत करने पर बैंक ग्राहक को वह शुल्क भी वापस करेगा।

9. चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर चेक की वैधता

1 अप्रैल 2012 से, चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर चेक की वैधता केवल तीन माह (तीन महीने) होगी जारी करने की तिथि से। यह वैधता अवधि 01.04.2012 के बाद मुद्रित चेक लीफ, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर चेक पर स्पष्ट रूप से अंकित होगी। सभी चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर चेक को जारी करने की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

10. तकनीकी कारणों से वापसी ल चेकों का पुनः-प्रस्तुतीकरण (Re-presentation) और शुल्क का प्रभार

शुल्क (Cheque Return Charges) केवल उन्हीं मामलों में लिया जाएगा, जहां ग्राहक की गलती हो और वह चेक वापसी के लिए जिम्मेदार हो। ऐसे मामलों की एक सांकेतिक सूची (Illustrative List), लेकिन संपूर्ण नहीं जहां ग्राहक की गलती नहीं है, संलग्न (Annexure) में दी गई है। चेक वापसी

बिना किसी दायित्व (Recourse) के पुनः प्रस्तुत किए जाने वाले चेक को अगली प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया (Next Presentation Clearing) में 24 घंटे (छुट्टियों को छोड़कर) के भीतर दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा और ग्राहकों को इस पुनः प्रस्तुतीकरण की सूचना दी जाएगी।

जहां ग्राहक की गलती नहीं है, वहां ग्राहक को चेक वापसी (Outward Returns) के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। चेक को अगली प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया (Next Presentation Clearing) में 24 घंटे (छुट्टियों को छोड़कर) के भीतर पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

11. अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)

बैंक अपने ग्राहकों को देरी से क्रेडिट (Delayed Credit) के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगा, यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, जो बैंक के नियंत्रण से बाहर हो और जिसके कारण बैंक अपनी सेवाओं को निर्धारित समयसीमा में प्रदान करने में असमर्थ हो।

ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं में निम्नलिखित परिस्थितियाँ शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- नागरिक अशांति (Civil Commotion), तोड़फोड़ (Sabotage), तालाबंदी (Lockout), हड़ताल (Strike) या अन्य श्रम आंदोलन।
- दुर्घटनाएँ (Accidents), आग (Fires), प्राकृतिक आपदाएँ (Natural Disasters) या अन्य "दैवीय आपदाएँ" (Acts of God)।
- युद्ध (War), बैंक की सुविधाओं या उसके समकक्ष बैंक (Correspondent Banks) को होने वाली क्षति।
- संचार (Communication) या परिवहन (Transportation) के सामान्य साधनों की अनुपलब्धता।

इन परिस्थितियों में, बैंक देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और कोई मुआवजा प्रदान नहीं करेगा।

12. बिना अदायगी वापसी चेकों पर ब्याज वसूली जहां त्वरित क्रेडिट दिया गया था

यदि कोई चेक संग्रह (Collection) के लिए भेजा गया हो और बैंक द्वारा त्वरित क्रेडिट (Instant Credit) प्रदान किया गया हो, लेकिन वह चेक अनादरित (Unpaid) होकर लौट आए, तो चेक की राशि तुरंत ग्राहक के खाते से डेबिट कर दी जाएगी।

- ग्राहक से तब तक कोई ब्याज शुल्क नहीं लिया जाएगा जब तक बैंक को धन की कमी (Out of Funds) का सामना नहीं करना पड़ा हो (निकासी के कारण)।
- यदि बैंक को धन की कमी का सामना करना पड़ा हो, तो ब्याज केवल अनुमानित ओवरड्राफ्ट (Notional Overdrawn Balance) पर लागू किया जाएगा, जो उस स्थिति में होता यदि क्रेडिट पहले नहीं दिया गया होता।

बचत खाते (Savings Bank Account) में चेक राशि जमा होने पर:

- यदि चेक की राशि बचत खाते में जमा की गई थी और निकासी नहीं की गई थी, तो चेक के अनादरित होने पर उस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

ओवरड्राफ्ट/लोन खाते (Overdraft/Loan Account) में चेक राशि जमा होने पर:

- यदि चेक की राशि ओवरड्राफ्ट/लोन खाते में जमा की गई थी, तो चेक के अनादरित होने पर बैंक द्वारा स्वच्छ ओवरड्राफ्ट (Clean Overdraft) या लोन पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा।
- ब्याज की गणना चेक की राशि जमा होने की तिथि से लेकर चेक वापसी (Reversal) की तिथि तक की जाएगी, केवल उस सीमा तक जहां तक बैंक को धन की कमी का सामना करना पड़ा हो।

13. सेवा शुल्क (Service Charges)

बैंक सभी संग्रह सेवाओं (Collection Services) के लिए उपयुक्त सेवा शुल्क वसूल करेगा, जो समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और ग्राहकों को बैंक की ग्राहक प्रतिबद्धता संहिता (Code of Bank's Commitment to Customers) के अनुसार सूचित किए जाएंगे। बैंक की सेवा शुल्क सूची बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

14. खाता आदाता चेक का संग्रहण - तीसरे पक्ष के खाते में आय जमा करने पर प्रतिबंध

a) कानूनी आवश्यकताओं और विशेष रूप से, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के उद्देश्य के अनुरूप और अनधिकृत संग्रह से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के बोझ से दबे बैंकों की रक्षा करने के उद्देश्य से, और भुगतान और बैंकिंग प्रणालियों की अखंडता और सुदृढ़ता के हित में, और हाल के दिनों में देखी गई विचलन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उसमें नामित आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में 'खाता आदाता' चेक जमा करने से प्रतिबंधित करना आवश्यक समझा है। तदनुसार, बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे आदाता घटक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए खाता आदाता चेक एकत्र नहीं करेंगे।

b) जहां आहर्ता/भुगतानकर्ता बैंक को संग्रह की आय को भुगतानकर्ता के अलावा किसी अन्य खाते में जमा करने का निर्देश देता है, यह निर्देश 'खाता आदाता' चेक के इच्छित अंतर्निहित चरित्र के विपरीत है, बैंक को आहर्ता/भुगतानकर्ता से चेक या उस पर खाता आदाता अधिदेश को वापस लेने के लिए कहना चाहिए। यह निर्देश किसी अन्य बैंक को देय बैंक द्वारा निकाले गए चेक के संबंध में भी लागू होगा।

c) भुगतान प्रणाली के दृष्टिकोण से चेक के संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए, अपने ग्राहकों के खाते में जमा करने के लिए उप-सदस्य के पास जमा किए गए खाता आदाता चेक को संबंधित सीटीएस क्लियरिंग हाउस के सदस्य बैंक (प्रायोजक सदस्य के रूप में संदर्भित) द्वारा एकत्र किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था के तहत, इस आशय का स्पष्ट वचन होना चाहिए कि खाता आदाता चेक की आय केवल वसूली के बाद आदाता के खाते में जमा की जाएगी।

d) सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों द्वारा खाताधारक चेकों के संग्रहण में सामना की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से, यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि संग्रहणकर्ता बैंक अपने ग्राहकों,

जो सहकारी ऋण समितियां हैं, के खाते में 50,000/- से अधिक राशि के खाताधारक चेकों को संग्रहित करने पर विचार कर सकते हैं, यदि ऐसे चेकों के आदाता ऐसी सहकारी ऋण समितियों के घटक हैं। उपर्युक्त अनुसार चेकों का संग्रहण करते समय, बैंकों को संबंधित सहकारी ऋण समितियों द्वारा लिखित में स्पष्ट अभ्यावेदन प्राप्त करना चाहिए कि, वसूली के बाद, चेक की आय केवल सहकारी ऋण समिति के उस सदस्य के खाते में जमा की जाएगी जो चेक में नामित आदाता है। हालाँकि, यह परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 131 सहित प्रावधानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन होगा।

15. सकारात्मक भुगतान

सकारात्मक भुगतान की अवधारणा में बड़े मूल्य के चेक के मुख्य विवरणों की पुनः पुष्टि करने की प्रक्रिया शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत, चेक जारी करने वाला व्यक्ति एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि जैसे चैनलों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस चेक के कुछ न्यूनतम विवरण (जैसे तारीख, लाभार्थी/भुगतानकर्ता का नाम, राशि, आदि) आहर्ता बैंक को प्रस्तुत करता है, जिसका विवरण सीटीएस द्वारा प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस चेक किया जाता है। किसी भी विसंगति को सीटीएस द्वारा आहर्ता बैंक और प्रस्तुतकर्ता बैंक को सूचित किया जाता है, जो निवारण उपाय करेंगे। केवल वे चेक जो उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप हैं, सीटीएस ग्रिड पर विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किए जाएंगे। सकारात्मक भुगतान की सुविधा ₹50,000 और उससे अधिक की राशि के चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए सक्षम है। विभिन्न चैनल जिनके माध्यम से ग्राहक पॉजिटिव पे को सक्षम कर सकते हैं: -

ए) रिटेल इंटरनेट बैंकिंग

बी) कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग

सी) मोबाइल बैंकिंग

डी) शाखा मोड (ग्राहक अपनी होम ब्रांच को विवरण साझा कर सकते हैं और ब्रांच सिस्टम में विवरण दर्ज कर सकती है)

ई) ग्राहक हमारे बैंक की वेबसाइट के होम पेज से इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए, ग्राहक को अन्य सेवाओं के ड्रॉप-डाउन बॉक्स से “पॉजिटिव पे” विकल्प चुनना होगा।

16. नीति संशोधन

यह नीति समय-समय पर आरबीआई और आईबीए के मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर संशोधन के अधीन है। नीति की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी।

ऐसी आपत्तियों की उदाहरणात्मक लेकिन संपूर्ण नहीं सूची, जहां ग्राहक दोषी नहीं हैं

(उपकरण और छवि-आधारित चेक समाशोधन के लिए लागू, जैसा कि बैंकर्स क्लियरिंग हाउस के एकरूप विनियम और नियमों के अनुबंध D में विस्तृत किया गया है)

कोड संख्या	वापसी का कारण
33	उपकरण विकृत; बैंक की गारंटी आवश्यक
35	क्लियरिंग हाउस की मुहर / दिनांक आवश्यक
36	गलत तरीके से दिया गया / हमारे बैंक पर आधारित नहीं
37	उचित क्षेत्र में प्रस्तुत करें
38	उपकरण में बाहरी सामग्री शामिल है
39	छवि स्पष्ट नहीं; कृपया कागज़ के साथ पुनः प्रस्तुत करें
40	दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करें
41	वस्तु दो बार सूचीबद्ध
42	कागज़ प्राप्त नहीं हुआ
60	दो बैंकों को पार किया गया
61	क्रॉसिंग स्टांप रद्द नहीं किया गया
62	क्लियरिंग मुहर रद्द नहीं की गई
63	उपकरण विशेष रूप से किसी अन्य बैंक के लिए जारी किया गया
67	प्राप्तकर्ता का समर्थन अनियमित / संग्रहण बैंक की पुष्टि आवश्यक
68	चिह्न / अंगूठे के निशान द्वारा समर्थन; मजिस्ट्रेट की सील के साथ सत्यापन आवश्यक
70	परामर्श प्राप्त नहीं हुआ
71	परामर्श में राशि / नाम अलग है
72	प्रायोजक बैंक के पास आहर्ता बैंक की निधि अपर्याप्त (उप-सदस्यों पर लागू)
73	प्राप्तकर्ता का अलग से बैंक को विमोचन आवश्यक
74	पहले प्रोximo तक देय नहीं
75	भुगतान आदेश को प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता
76	आवश्यक जानकारी अस्पष्ट / गलत
80	बैंक का प्रमाण पत्र अस्पष्ट / अधूरा / आवश्यक
81	जारी करने वाले कार्यालय द्वारा ड्राफ्ट खो गया; जारी करने वाले कार्यालय से पुष्टि आवश्यक
82	बैंक / शाखा अवरुद्ध
83	डिजिटल प्रमाणपत्र सत्यापन विफल
84	अन्य कारण - कनेक्टिविटी विफलता
87	‘प्राप्तकर्ता का खाता जमा’ - मुहर आवश्यक
92	बैंक को बाहर रखा गया

यदि आपको किसी अन्य भाषा शैली या विशिष्ट परिवर्तन की आवश्यकता हो तो कृपया बताएं!